जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई एण्ड टी डब्यलू)

क्र.जे.पी.डी / मु.अ. (आर.ई एण्ड प्लान) / अ.अ(आर.ई. एण्ड टी डब्यलू)प.1201 / प्रे 4574 दिनांक 2/2/2010

आदेश

विषय :–फव्वारा एवं बूंद–बूंद सिंचाई के लिये विद्युत कनैक्शन प्राथमिकता से देने के सम्बन्ध् मे।

ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प 12 (10)ऊर्जा /2006 दिनांक 17.12.2009 एवं डिस्कॉम कार्डिनेश फोरम की दिनांक 15.01.2010 को आयोजित बैठक मे लिये गये निर्णय की अनुपालना में पानी के संरक्षण को बढावा देने के उद्धेशय से किसानो को उच्च प्राथमिकता से बूंद–बूंद सिंचाई पद्वति के लिए विद्युत कनैक्शन देने के सम्बन्ध मे निम्न आदेश दिये जाते है :–

1 इस प्रद्वति मे कृषि कनैक्शन उच्च प्राथमिकता से दिनांक 31.12.2009 तक पंजीकृत उन आवेदकों को दिये जावेगे जो लिखित रूप से बून्द–बून्द /फव्वारा पद्धति में कनेक्शन लेने हेतु योजना में परिवर्तन के लिए 1000/–रू की राशि जमा करा,आवेदन करेगें।

2 इस प्रद्वति के अन्तर्गत लाईन एवं ट्रांसफार्मर की पूरी लागत आवेदक द्वारा निम्नानुसार वहन की जावेगी।

(i) लाईन चार्जेज :–
लाईन चार्जेज रूपये 100/– प्रति मीटर + 2000 रूपये प्रति पोल। (यदि 120 मीटर स्थान पर 2 पोल लगते है तो चार्जेज रूपये 12000 + 4000 = 16000रूपये)

(ii) ट्रांसफार्मर– सब स्टेशन चार्जेज :–
ट्रांसफार्मर– सब स्टेशन की कीमत एवं भार के अनुसार ट्रांसफार्मर निम्नानुसार लगाये जायेंगे :–

(a) 7.5 एचपी तक के कनेक्शन के लिये	रू 80000/–
(b) 7.5 एचपी से ज्यादा और 20 एचपी तक के कनेक्शन के लिये	रू 94000/–
(c) 20 एचपी से अधिक और 32 एचपी तक के कनेक्शन के लिये	रू 140000/–
(d) 32 एचपी से अधिक और 50 तक के कनेक्शन के लिये	रू 155000/–
(e) 50 एचपी से अधिक और 60 तक के कनेक्शन के लिये	रू 180000/–

(f) 60 एचपी से अधिक के कनेक्शन एच टी लाईन पर दिये जायेंगे।
सब स्टेशन कृषि कनेक्शन आवेदक द्वारा लगाया जावेगा ।

3 इस पद्वति के अन्तर्गत जारी मांग पत्र की राशि जमा करने से पूर्व आवेदक को कृषि विभाग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि वे बूंन्द–बूंन्द एवं फव्वारा पद्धति की स्थापना कर चुके है।/स्थापित करने जा रहे है।

4 इस क्षेणी के समस्त आवेदको की वरीयता सूची पृथक से संधारित की जावेगी।

5 इस प्रद्धति के लिए निम्न विद्युत दरें अनुसूची एजी/एमएस/एलटी–4 के अन्तर्गत लागू होगी:–

1. प्रभार की दर सी–1 – रू. 50 प्रति कनैक्शन प्रति माह
2. ऊर्जा प्रभार की दर सी 2 (iii) – रू 2.10 प्रति यूनिट
3. न्यूनतम बिलिंग डी (iii) – रू 200 प्रति हा. पावर प्रति माह

6 ऐसे कनेक्शनो को उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष, सामान्य कृषि श्रेणी के कनैक्शन जारी होने पर सामान्य कृषि श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावेगा। इस प्रद्धति में विद्युत कनैक्शन मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से अधिकतम 6 माह में जारी कर दिये जावेगे।

7 यदि आवेदक बूंन्द–बूंन्द/फव्वारा सिंचाई प्रद्धति का उपयोग करना बन्द कर पारम्परिक सिंचाई प्रद्धिति से ही सिंचाई करना प्रारम्भ करता है, तो उसका विद्युत संबंध तुरन्त विच्छेद कर दिया जावेगा।

डिग्गीयो का निर्माण करने पर तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन चाहने वाले आवेदको को भी पैरा 2 के अनुसार राशि देनी होगी

उक्त आदेश तीनो विद्युत वितरण निगमो पर लागू होगा

(एम.एल.गुप्ता)
मुख्य (अभियंता आर ई एण्ड प्लान)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2–प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर ।
3–निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
4–मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
5–सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/कोटा जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/कोटा ।
6–प्रावेधिक सहायक,प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
7–अधीक्षण अभियन्ता(पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/प्लान/विधि) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8–अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
9–प्रावेधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।
10–अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(सतर्कता),जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(राम बाग सर्किल)जयपुर ।
11–मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
12–सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय जयपुर।